



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 772]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2009/वैशाख 25, 1931

No. 772]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2009/VAISAKHA 25, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 15 मई, 2009

New Delhi, the 15 May, 2009

का.आ. 1242(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम, 2007 (2007 का 39) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 20 मई, 2009 को वह तारीख नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3, धारा 10, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 25, धारा 26, धारा 28, धारा 31, धारा 33, धारा 34, धारा 35, धारा 36, धारा 38, धारा 39, और धारा 43 (धारा 53ख, धारा 53द, धारा 53ण, धारा 53त, धारा 53थ, धारा 53द, धारा 53ध, धारा 53न और धारा 53प) प्रवृत्त होंगी।

S.O. 1242 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Competition (Amendment) Act, 2007 (39 of 2007), the Central Government hereby appoints the 20th day of May, 2009 as the date on which Sections 3, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39 and 43 (53B, 53N, 53O, 53P, 53Q, 53R, 53S, 53T and 53U) of the said Act, shall come into force.

[फा. सं. 5/4/2003-आईजीसी/सीएस]

[F. No. 5/4/2003-IGC/CS]

अविनाश के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

AVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.